राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 19514/2024

1. भारत संघ, जरिये महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, चर्च गेट, मुंबई।
2. महाप्रबंधक (कार्मिक), उत्तर-पश्चिम रेलवे, जगतपुरा रोड, मदर टेरेसा कॉलोनी, सवाई गैटोर, जगतपुरा, जयपुर (राज.)-302017
3. मंडल रेल प्रबंधक/अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, मनीषा रोड, रेलवे कॉलोनी, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर (राज.) 305001
4. वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अजमेर, मनीषा रोड, रेलवे कॉलोनी, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर (राज.) 305001
5. मंडल रेल प्रबंधक (प्रशासन), उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर (राज.)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

श्रीमती रिंकी शर्मा, पुत्री (स्वर्गीय) श्री कमल किशोर शर्मा, निवासी 691/4, 16 काला बाग, जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के पास, अजमेर (305001) जिनका सिफर-ऑपरेटर के पद से, कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर, सेवा में रहते हुए निधन हो गया

----प्रतिवादी

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री राहुल कामवार

प्रतिवादी की ओर से : श्री अभिषेक चौधरी साथ में
श्री भरत सिंह भाटी एवं
श्री हेमराज बैरवा

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान अवनीश झिंगन

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान प्रमिल कुमार माथुर

आदेश

11/02/2025

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी के पिता (जिन्हें इसके बाद 'कर्मचारी' कहा गया है) उत्तर पश्चिमी रेलवे के स्थायी कर्मचारी थे। कर्मचारी का सिफर-ऑपरेटर के रूप में सेवारत रहते हुए 24.08.2019 को निधन हो गया। प्रतिवादी कर्मचारी के परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य थी और उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। अनुरोध को आदेश दिनांक 08.01.2020 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। प्रतिवादी ने दिनांक 13.01.2022 को एक कानूनी नोटिस दिया। प्रतिवादी द्वारा दायर मूल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया। इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के सिविल संदर्भ संख्या 1/2022: श्रीमती हिना शेख बनाम राजस्थान राज्य दिनांक 13.09.2022 के निर्णय पर भरोसा करते हुए, अधिकरण ने कार्यकारी निर्देशों और दिशानिर्देशों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार गुणागुण पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवादी की अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने के लिए मामले को वापस प्रेषित किया। अतः, यह वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी कर्मचारी के परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य है, लेकिन वह विवाहित पुत्री है, उसका पति कार्यरत है और वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। शिकायत यह उठाई गई है कि अधिकरण ने उसे नियुक्ति देने का निर्देश जारी किया है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी मृतक की पुत्री है और अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र है। यह तर्क दिया गया है कि मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है, यह इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा श्रीमती हिना शेख (उपरोक्त) मामले में तय किया जा चुका है।

5. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई यह शिकायत कि अधिकरण ने प्रतिवादी को नियुक्त करने का निर्देश जारी किया है, सारहीन है। अधिकरण ने इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के श्रीमती हिना शेख (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि विवाहित पुत्रियां अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र हैं। मामले को नीति, दिशानिर्देशों और निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करने के लिए प्रेषित किया गया था।

6. दूसरा पहलू यह है कि प्रतिवादी के अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध को अस्वीकार करने वाला पत्र दिनांक 08.01.2020 एक अकारण आदेश है। यह केवल यह सूचित करता है कि सक्षम प्राधिकारी ने प्रतिवादी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं पाया है। अनुरोध को अस्वीकार करने वाले आदेश के दीवानी परिणाम होते हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

होने के कारण इसे कायम नहीं रखा जा सकता। अधिकरण ने मामले को नीति, दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करने के लिए सही प्रेषित किया है।

7. आक्षेपित आदेश में कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। रिट याचिका खारिज की जाती है। सभी लंबित आवेदन (नों) को भी खारिज किए जाता हैं।

(प्रमिल कुमार माथुर), **J** (अवनीश झिंगन), **J**

सिंपल कुमावत /21

क्या संप्रकाशनीय है: **हाँ**

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकरिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"